

प्रपत्र-ख

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत पदाधिकारियों / कर्मियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले से संबंधित प्रतिवेदन-

क्र०	आरोपित पदाधिकारी / कर्मचारी का नाम, पदनाम, सम्बन्ध (संस्थान के नाम सहित)	आरोप की संक्षिप्त विवरणी सन्निहित राशि सहित	प्राथमिकी संख्या एवं तिथि (थाना काण्ड सहित)	आरोप पत्र दाखिल किया गया अथवा नहीं	अभियोजन स्वीकृति की स्थिति	घाव की वर्तमान स्थिति	अभ्युक्ति
1	श्री संतलाल राय, तत्कालीन प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कुडू प्रखण्ड, जिला-लोहरदगा, वर्तमान पदस्थापन-माण्डु प्रखण्ड, जिला- रामगढ़	श्री राय को विधायक मद योजना संख्या-05/03-04 के अन्तर्गत सामुदायिक भवन निर्माण कार्य में संवेदक बनाया गया था। श्री राय के द्वारा श्री विशेषकर प्रसाद दीन विता स्व० चुन्नी साहु को उप संवेदक बनाया गया। संवेदक और उप संवेदक के बीच में रु० 45066/- के भुगतान का मामला है जिसके विरुद्ध उप संवेदक द्वारा श्री राय के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।	कूडू थाना कांड सं०-84/07 दिनांक 16.06.2007 धारा-420 भा०द०वि०	नहीं	नहीं	चूंकि यह मामला सरकार की राशि के गबन का नहीं बनता है। अतः निदेशानुसार निदेशालय के पत्रांक 898 दिनांक 29.04.2011 पत्रांक 1529 दिनांक 14.07.2011, पत्रांक 1000 दिनांक 07.05.2012 एवं पत्रांक 1914 दिनांक 12.09.2012 द्वारा उपायुक्त, लोहदगा से सम्पूर्ण मामले की विस्तृत समीक्षा कर अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में पुनः प्रस्ताव भेजने हेतु अनुरोध किया गया है।	
2	श्री रामजी प्रसाद, अन्वेषक (राज्यास), जिला सांख्यिकी कार्यालय, धनबाद	धनबाद नगर निगम, धनबाद अंचल कार्यालय में जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के एवज में श्री शैशान लाल अग्रवाल "बी" ब्लॉक, क्वार्टर न०-21, भूली नगर, धनबाद से 800/रु० (आठ सौ) रिश्वत के साथ रंगे हाथ निगरानी धारा दल, राँची द्वारा निरफ्तार किया गया एवं न्यायिक हिरासत में भेजा गया।	निगरानी थाना कांड सं०-10/08 दिनांक 22.07.2008 धारा-भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988-7/13(2)	हाँ	हाँ	निगरानी, न्यायालय द्वारा इस काण्ड का संज्ञान लिया जा चुका है। मामला न्यायालय में लंबित है।	

निदेशक